संख्याः ६-७७/२०११-ई,एल.एन., दिनांकः शिमला-१७१००, ९ मार्च, २०११

''मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य ''

<u>अधिसूचना</u>

9 मार्च, 2011

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 8क के अधीन

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2010, जो 10 फरवरी, 2011 से प्रवृत हुआ है, द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में अन्तःस्थापित धारा 20क के अधीन प्रत्येक प्रवासी निर्वाचक अर्थात् भारतीय नागरिक, जो नियोजन, शिक्षा या अन्य कारणों से भारत में अपने सामान्य निवास स्थान से अनुपस्थित है और उसने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है तथा जिसका नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित (दर्ज) नहीं है, उस निर्वाचन क्षेत्र, जहाँ भारत में उनका निवास स्थान अवस्थित है, जैसा कि उसके पासपोर्ट में दर्शाया गया है, की मतदाता सूची में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत (दर्ज) करवाने का हकदार है।

निर्वाचक रिजस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 8क के निबंधनों के अनुसार प्रत्येक प्रवासी निर्वाचक, जिसका भारत में निवास स्थान हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है, जिसने 01—01—2011 को अठारह वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है तथा वह अपना नाम मतदाता सूची में रिजस्ट्रीकृत (दर्ज) करवाने का इच्छुक है, को एतद्द्वारा उस निर्वाचन क्षेत्र, जिसमें उसका निवास स्थान अवस्थित है, जैसा पासपोर्ट में दर्शाया गया है, की मतदाता सूची में रिजस्ट्रीकृत (दर्ज) करने के लिए प्ररूप 6क में दावा आवेदन प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। आवेदकों के लिए दिशा—निर्देशों सिहत प्ररूप 6क नीचे दिया गया है। प्ररूप 6क में दावा आवेदन सम्बद्ध निर्वाचन क्षेत्र के रिजस्ट्रीकरण अधिकारी को या तो व्यक्तिगत रूप से सीधे प्रस्तुत किया जायेगा या ऐसे रिजस्ट्रीकरण अधिकारी को डाक द्वारा प्ररूप 6क तथा दिशा निर्देशों में यथा वर्णित दस्तावेजों सिहत भेजा जायेगा। जब दावा आवेदन डाक द्वारा भेजा जाता है, तो यह पासपोर्ट के सुसंगत पृथ्ठों की फोटोप्रतियों, जो सम्बद्ध देश में भारतीय मिशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित हों, सिहत भेजा जाना चाहिए।

हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रत्येक अड़सट निर्वाचन विधान सभा क्षेत्रों के रिजस्ट्रीकरण अधिकारियों के पते वेबसाइट "http://ceohimachal.nic.in" पर देखे जा सकते हैं।

हस्ता / 0 मनोज कुमार मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश। No: 6-7/2011-ELN, Dated: Shimla-171009, the 9th March, 2011

Chief Electoral Officer, <u>Himachal Pradesh</u> State Notification

9th March, 2011

Under Rule 8A of the Registration of Electors Rules, 1960.

Under Section-20A of the Representation of the People Act, 1950, inserted vide Representation of the People (Amendment) Act, 2010, which has come into effect w.e.f. 10th February, 2011, every overseas elector, i.e., Indian citizen who is absenting from his place of ordinary residence in India owing to employment, education or otherwise, and has not acquired citizenship of any other country and who is not included in the electoral roll, is entitled to have his/her name registered in the electoral roll of the constituency in which his/her place of residence in India as mentioned in his/her passport is located.

In terms of rule 8A of the Registration of Electors Rules, 1960, every overseas elector whose place of residence in India is located in the State of Himachal Pradesh who has completed 18 years of age as on 01-01-2011, and is desirous of registering his/her name in the electoral roll, is invited hereby to submit claim application in Form-6A for registration in the electoral roll of the constituency in which his/her place of residence as shown in the passport is located. Form-6A alongwith guidelines for the applicants is given below. The claim application in Form-6A may be either submitted in person directly to the registration officer of the constituency concerned or sent to such registration officer by post alongwith the documents mentioned in Form-6A and the guidelines. When the claim application is sent by post, it should be accompanied by photocopies of the relevant pages of the passport duly attested by the competent official of the Indian mission in the country concerned.

Addresses of the registration officers of each of the 68 Assembly constituencies in the State of Himachal Pradesh can be seen on the website "http://ceohimachal.nic.in".

Sd/-Chief Electoral Officer, Himachal Pradesh. संख्याः 6-7/2011-ई,एल.एन., दिनांकः शिमला-171009, 22 मार्च, 2011

''हिमाचल प्रदेश सरकार'' ''निर्वाचन विभाग''

शुद्धि-पत्र

हिमाचल प्रदेश के राजपत्र, दिनांक 9 मार्च, 2011 में प्रकाशित, हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्वाचन विभाग की अधिसूचना संख्या:6-7/2011, दिनांक 9 मार्च, 2011 में, – पृष्ठ 9493, पंक्ति 21 में, "सम्बद्ध देश में भारतीय मिशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित" के स्थान पर "सम्यक् रूप से स्वतः अनुप्रमाणित" पढ़ें।

हस्ता / –

मनोज कुमार मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश। No: 6-7/2011-ELN, Dated: Shimla-171009, the 22nd March, 2011

"Government of Himachal Pradesh" "Election Department"

CORRIGENDA

In the Notification of Election Department, Govt. of Himachal Pradesh No.6-7/2011-ELN, dated 9th March, 2011 published in the Gazette of Himachal Pradesh, dated 9th February, 2011, - at page 9494, in line 21-22, for "duly attested by the competent official of the Indian mission in the country concerned" read "duly self-attested".

Sd/-Manoj Kumar Chief Electoral Officer, Himachal Pradesh.

"प्ररूप 6क

(नियम 8ख देखें)

	किसी प्रवासी निर्वाचक द्वारा निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किये जाने के लि	ाए आवेदन
सेवा में		
	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर, सभा / संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जिला भारत का राज्य	इस खाने के भीतर पूर्ण मुख को दर्शित करने वाला (3.5x3.5 से.मी.) का हाल ही में खींचा गया पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाने के लिए स्थान
महोदय,		
विशिष्टिर	मैं प्रार्थना करता हूं कि उक्त निर्वाचन—क्षेत्र के लिए, जिसमें नीचे ग्रों के अनुसार मेरा निवास स्थान अवस्थित है, निर्वाचक नामावली में मेरा नाम सम्मिलित	
	भाग–क	
	निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किये जाने के लिए मेरे दावे के समर्थन में विशिष्टिय	i नीचे दी गई हैं :
(क) (型) (刊) (ঘ) (ভ) (च)	नाम ————————————————————————————————————	
(ज)	(iii) उप नाम————————————————————————————————————	
	(vii) जिला —————	

(झ) पासपोर्ट का ब्योरा

(i) पासपोर्ट संख्या ----

(퍼)	वर्तमान निव	गस के देश के वीजा का ब्यौरा –
	(i)	वीजा संख्या ——————
	(ii)	वीजा का प्रकार (एकल प्रवेश / बहुविध प्रवेश / पर्यटक / कार्य वीजा आदि)——————
	(iii)	वीजा के जारी होने की तारीख —————
	(iv)	वीजा के जारी होने का स्थान —————
	(v)	वीजा के अवसान की तारीख —————
	(vi)	जारी कर्ता प्राधिकारी का नाम—————
डाक	द्वारा भेजा	त वर्तमान विधिमान्य वीजा पृष्ठांकन को अन्तर्विष्ट करने वाले पासपोर्ट <i>के सुसंगत पृष्ठों की—यदि</i> <i>जाता है तो सम्यक् रूप से स्वतः अनुप्रमाणित प्रतियों को और यदि व्यक्तिगत रूप से रजिस्ट्रीकरण</i> क्ष प्रस्तुत किया जाता है तो प्रतियों के साथ मूल पासपोर्ट के साथ संलग्न करें। }
2.	भारत में म	ामूली तौर से निवास के स्थान से अनुपस्थिति का वर्णन
(ক)		नामूली तौर पर निवास के स्थान से अनुपस्थित होने का कारण— (i) नियोजन / (ii) शिक्षा/ (विवरण दें)
(ख)	वह तारीख 	व जिससे भारत में मामूली तौर पर निवास से अनुपस्थित रहा है । (दिन ∕ मास ∕ वर्ष)
3.	भारत से बा	हर के देश का पूर्ण आवासीय पता, जहां वह वर्तमान में निवास कर रहा है
		1
4.		हर के देश का पूर्ण शासकीय पता जहां वह वर्तमान में निवास कर रहा है (नियोजन या ांस्था, जहां वह अध्ययन कर रहा है, के स्थान का पता)————————————————————————————————————
5.	घोषणा – मै	। वं घोषणा करता हूं कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार–

- - इस आवेदन में दी गई सम्पूर्ण जानकारी सत्य है ।
 - (ख) मैं जन्म से/अधिवास से/देशीयकरण द्वारा भारत का नागरिक हूं।
 - मैंने किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित नहीं की है । (ग)
 - किन्तु ऊपर 2क में दिए गए कारण से भारत में मेरे मामूली निवास के स्थान से अनुपरिथत होने के (ਬ) कारण, मैं मेरे भारतीय पासपोर्ट में दिए गए पते पर मामूली तौर पर निवासी रहूंगा, जिसे ऊपर 1(ज) में उद्धृत किया गया है।
 - में मेरे द्वारा भारतीय नागरिकता का त्याग किये जाने या मेरे द्वारा किसी अन्य देश की नागरिकता (ভ) अर्जित किए जाने पर मेरे वर्तमान निवास के देश में भारतीय मिशन के माध्यम से निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर को तत्काल सूचित करने का वचन देता हूं।
 - मेरे निवास के देश में मेरे निवास के पते में कोई परिवर्तन होने पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के अभिलेख के लिए मैं मेरे वर्तमान निवास के देश में भारतीय मिशन के माध्यम से निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर को तत्काल सूचित करने का वचन देता हूं। मैं यह जानता हूं कि मेरे निवास पर भेजा गया कोई नोटिस, जो कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के अभिलेख के अनुसार मेरे वर्तमान निवास के देश में मेरे निवास का पता है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन मुझे नोटिस की सम्यक् तामील समझी जायेगी, और यह मेरा उत्तरदायित्व है कि मेरे वर्तमान निवास के देश में मेरे अद्यतन निवास के पते की सूचना मैं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर को देता रहूं ।
 - यदि मैं भारत वापस लौटता हूं और भारत में मामूली तौर पर निवासी हो जाता हूं, तो मैं संबंधित विधान सभा / संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर को तत्काल सूचित करूंगा ।
 - मैंने किसी अन्य निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में मेरा नाम सिम्मलित किए जाने के लिए आवेदन (ज) नहीं किया है।

	(झ)	इस या किसी अन्य निर्वाचन—क्षेत्र में मेरा नाम पहले सम्मिलित नहीं किया गया है ।	
		या	
		मेरा नाम —————— राज्य के —————— निर्वाचन—क्षेत्र के, जिसमें मैं र्न उल्लिखित पते पर पहले से ही मामूली तौर से निवास कर रहा था, निर्वाचक नामावली में सम्मिलि किया जा सकेगा और यदि ऐसा है तो मैं प्रार्थना करता हूं कि उसे उस निर्वाचक नामावली से हट दिया जाए या स्थानांतरित कर दिया जाए, जैसा भी उपयुक्त हो ।	त
		पूरा पता (मामूली तौर से निवास का पूर्व स्थान) ————————————————————————————————————	
	(স)	मुझे भारत में निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी नहीं किया गया है / निर्वाचक फोटो पहचान पत्र ज किया गया है जो निरस्तीकरण के लिए इस आवेदन के साथ संलग्न है ।	गरी
		हस्ताक्षर —————— स्थान —————— तारीख ——————	
		भाग–ख	
		(निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के कार्यालय में प्रयोग के लिए)	
	_ র্প্ন	(दिन / मास / वर्ष) को आवेदन प्राप्त हुआ श्री / श्रीमती / कुमारी(दिन / मास / वर्ष) को प्ररूप 6क में आवेदन :-	
(ক)	स्वीकार के भाग	ार कर लिया गया है और उसके नाम को ———————————————————————————————————	गवली
(ख)	नामंजूर	्र करने के विस्तृत कारण	
तारीर	ख		
VII VI	G,	[निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर	[]
		छिद्रण	
		भाग—ग	
		आवेदन की अभिस्वीकृति	
		(जब व्यक्तिगत रूप से रजिस्ट्रीकरण आफिसर को प्रस्तुत किया जाए)	
		में श्री /श्रीमती/कुमारी ————————पता ——————त त हुआ ।	— क
तारी	ত্র———		
		सत्यापन करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर————————	
		पता	——" I
		INII	

प्ररूप 6क में आवेदन भरे जाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त

साधारण अनुदेश

प्ररूप 6क किसके द्वारा भरा जा सकता है

- 1. विदेश में रहने वाला भारत का प्रत्येक ऐसा नागरिक, जिसने किसी विदेश की नागरिकता अर्जित नहीं की है और वर्ष की 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, उस अवस्थान से, जिसमें उसके पासपोर्ट में यथाउल्लिखित भारत में उसका निवास स्थान अवस्थित है, संबंधित निर्वाचन—क्षेत्र की नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए प्ररूप 6क में आवेदन कर सकता है। प्ररूप 6क में आवेदन को संबंधित रजिस्ट्रीकरण आफिसर के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।
- 2. आवेदक ने वर्ष की 1 जनवरी, को अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। उदाहरणार्थ, यदि निर्वाचक नामावली में नाम को सम्मिलित करने के लिए आवेदन 1–1–2011 की अर्हक तारीख के प्रतिनिर्देश से हैं, तो आवेदक द्वारा 1–1–2011 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली गई हो ।

प्ररूप 6क में आवेदन को कहां प्रस्तुत किया जाए

3. आवेदन को उस निर्वाचन क्षेत्र के, जिसके भीतर विधिमान्य पासपोर्ट में दिए गए अनुसार आवेदक के मामूली निवास का स्थान आता है, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर (ईआरओ) को सीधे प्रस्तुत किया जाना चाहिए । प्ररूप 6क में आवेदन को ईआरओ को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है या संबंधित ईआरओ के डाक पते पर भेजा जा सकता है ।

[भारत के सभी निर्वाचन क्षेत्रों के ईआरओ की विशिष्टियां और डाक पते भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट (http://eci.nic.in) पर देखी जा सकती हैं]

संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज

- 4. आवेदक के पूर्ण मुख को दर्शित करने वाला एक हाल ही में खींचा गया आवेदक का पासपोर्ट आकार का एक रंगीन फोटो चिपकाएं, जिसकी पृष्टभूमि हल्के रंग (अधिमानतः सफेद) की हो ।
- 5. प्ररूप 6क के सभी सतंभ भरें । विधिमान्य भारतीय पासपोर्ट में दिए गए अनुसार अपना नाम और अन्य विशिष्टियां लिखें ।
- 6. यदि आवेदन डाक द्वारा भेजा जाता है तो इसके साथ आवेदक के फोटो और अन्य सभी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट करने वाले पासपोर्ट के सुसंगत पृष्ठों और विधिमान्य वीजा पृष्ठांकन अन्तर्विष्ट करने वाले पृष्ठ की फोटो प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए । **ये फोटो प्रतियां सम्यक् रूप से स्वतः अनुप्रमाणित होनी चाहिए** । इन दस्तावेजों की अनुप्रमाणित फोटो प्रतियों के बिना भेजे गए आवेदन सीधे नामंजूर किये जाने के दायी होंगे ।
- 7. यदि आवेदन को व्यक्तिगत रूप से ईआरओ के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो आवेदन के साथ ऊपर यथाउिल्लिखित पासपोर्ट के सुसंगत पृष्टों की फोटो प्रतियां संलग्न की जानी चािहए । रिजस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा सत्यापन के लिए आवेदन के साथ मूल पासपोर्ट भी प्रस्तुत किया जाना चािहए । सत्यापन के तुरन्त पश्चात् पासपोर्ट को लौटा दिया जाएगा ।

मतदान

8. यह उल्लेखनीय है कि आप के नामांकन के पश्चात्, आप निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करने में उस समय समर्थ होंगे, यदि आप मतदान के दिवस को अपने मूल पासपोर्ट के साथ मतदान केन्द्र में स्वयं उपस्थित है ।

"Form 6A

(see rule 8B)

Application for inclusion of name in the electoral roll by an overseas elector

The Electoral Registration Officer,

П		
	\cap	

	Assembly/Parliamentary	Space for pasting
	Constituency	one recent passport
		size photograph
	D'at'a	(3.5x3.5 CM)
	District	showing frontal
	State in India	view of full face within this box
a.		within this box
Sir,	I manuact that may name he included in the electoral m	all for the Constituency in
which my place of r	I request that my name be included in the electoral residence, as per the particulars furnished below in item 1(h	
	PART-A	
Particular	rs in support of my claim for inclusion in the electoral roll a	are given below:-
(a)	Name	
(b)	Middle Name	
(c)	Surname	
(d)	Date of BirthPayMonthYear	
(e)	Sex (Male/ Female)	
(f)	Place of Birth-	
	(i) Village/ Town	
	(ii) District	
	(iii) State	
(g)	Father's / Mother's/ Husband's detail	
	(i) Name	
	(ii) Middle Name	
	(iii) Surname	
(h)	Place of Ordinary Residence in India (Full Address as gi	ven in Passport)
` ,	(i) House/ Door number	• '
	(ii) Street/ Area/Locality/Mohalla/Road	
	(iii) Town/ Village	
	(iv) Post Office	
	(v) Pin Code	
	(vi) Tehsil/Taluka /Mandal/ Thana	
	(vii) District	
(i)	Passport Details-	
	(i) Passport number	
	(ii) Place of Issue of current Indian Passport	
	(iii) Date of Issue of Current Indian Passport	
	(iv) Date of expiry of Current Indian Passport	

{Copies of the relevant pages of the passport containing the particulars mentioned at items (a) to (i) above to be enclosed –duly self-attested if sent by post and produced with the original passport if presented in person before the registration officer}

	m which absenting from ording	
		ary residence in India D/MM/YYYY)
	ress in the country outside India	•
ce of employm	nt or the education institution w	vhere studying)
1	l Official addres	l Official address in the country outside India coe of employment or the education institution v

Details of Visa of the Country of current residence-

Tourist/Work Visa etc.----

Type of Visa (Single Entry/ Multiple Entry/

Date of Issue of Visa-----

Place of Issue of Visa-----

Date of expiry of Visa-----

Name of the Issuing Authority-----

Visa Number-----

(j)

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

the Indian Mission in the Country of my current residence if I renounce my Indian citizenship or if I acquire the citizenship of any other country.
(f) I undertake to immediately inform the Electoral Registration Officer through the Indian Mission in the Country of my current residence of any change in my

(d) But for being absent from the place of my ordinary residence in India owing to the reason given in 2(a) above, I would have been ordinarily resident at the address given in my Indian Passport, which has been reproduced at 1(h) above.(e) I undertake to immediately inform the Electoral Registration Officer through

- Indian Mission in the Country of my current residence of any change in my residential address in the country of my residence for the records of the Electoral Registration Officer. I understand that any notice sent to me at the address, which is my residential address in the country of my current residence according to the records of the Electoral Registration Officer, shall be considered as due service of notice to me under the Representation of the People Act, 1950 and rules made thereunder, and that it is my responsibility to keep the Electoral Registration Officer informed of my latest residential address in the country of my current residence.
- (g) If I return to India and become ordinarily resident in India, I shall immediately inform the Electoral Registration Officer of the concerned Assembly/Parliamentary Constituency.
- (h) I have not applied for inclusion of my name in the electoral roll of any other constituency.

(i)	My name has not already been included in this or any other constituency.
	Or
	My name may have been included in the electoral roll of
	Constituency in State in which I was ordinarily resident earlier at the address mentioned below and, if so, I request that the same may be deleted from
	that electoral roll, or transposed, as may be appropriate.
	Full address (Earlier place of ordinary residence)
	Elector Photo Identity Card (if issued) number
	Date of issue
(j)	I have not been issued an EPIC in India/ have been issued an EPIC which is enclosed with this application for cancellation.
	Signature
	Place
	Date
	PART-B
	(For use in the office of Electoral Registration Officer)
	Application received (DD/MM/YYYY)
Tì	ne application in Form 6A of Shri/ Shrimati/ Kumari has been:-
	(a) Accepted and the name has been registered in the electoral roll of
	(Constituency) at Sr. No Part No
	(b) Rejected for the reason
D	ate [Electoral Registration Officer]
	PART C
	PART-C Acknowledgement for Application
	(When presented in person to the registration officer)
ъ	
	eived the application in Form 6A of /Shrimati /Kumari
	ress
Date	
	Signature of the Verifying Officer
	Address "

GUIDELINES FOR FILLING UP THE APPLICATION FORM-6A

General Instructions

Who can file Form-6A

- 1. Every citizen of India staying in foreign country, who has not acquired citizenship of a foreign country, and has completed 18 years of age as on 1st January of the year, can make an application in Form 6A for being registered in the roll for the constituency pertaining to the locality in which his place of residence in India as mentioned in the passport is located. The application in Form 6A can be presented to the registration officers concerned.
- 2. The applicant should have completed eighteen years of age as on 1st January of the year. For example, if the application is for inclusion of name in the electoral roll with reference to 01-01-2011 as the qualifying date, the applicant should have completed 18 years of age as on 01-01-2011.

Where to submit the application in Form-6A

3. The application should be submitted directly to the Electoral Registration Officer (ERO) of the constituency within which the place of ordinary residence of the applicant as given in the valid passport falls. The application in Form 6A can be presented in person to the ERO or sent by post addressed to the ERO concerned.

[The particulars and postal address of the EROs of all the constituencies of India can be seen on the website of Election Commission of India (http://eci.nic.in)]

Documents to be attached

- 4. Paste one recent passport size coloured photograph with a light background (preferably white) showing the full face of the applicant.
- 5. Fill in all the columns in Form 6A. Write your name and other particulars as given in the valid Indian Passport.
- 6. If application is sent by post, it should be accompanied by photo-copy of the relevant pages of the passport containing the photograph and all other particulars of the applicant and the page containing the valid visa endorsement. **These photo-copies should be duly self-attested**. Applications without the attested photo-copies of these documents will be liable to be summarily rejected.
- 7. If the application is submitted in person before the ERO, the application should be accompanied by a photo-copy of the relevant pages of the passport as mentioned above. The original passport should also be produced alongwith the application for verification by the registration officer. The passport will be returned immediately after verification.

Voting

8. It may be noted that after your enrolment, you will be able to cast vote in election in the constituency, if you are physically present in the polling station alongwith your original passport on the day of poll.